MAKE IAS
Make Advanced Knowledge Easy

UPPCS 2023 MEP-2 TEST-23

Name of Student: Madhav Upadhyay (माधव उपाध्याय)

Date: 22/06/23

Test Center:

Mukherjee Nagar	
Old Rajendra Nagar	
Prayagraj	✓
Lucknow	
Online	

Medium:

English	
हिन्दी	✓

Time:

Test Received:

Test Submit :

Q. No.	Marks	Remarks
Q 1st		
Q 2nd		
Q 3rd		
Q 4th		
Q 5th		
Q 6th		
Q 7th		
Evaluator Sign		

MakeIAS Test Series Centers

Nehru Vihar: GF- 20 A-B, Ground Floor, Vardhman Plaza 9899282107

Karol Bagh: 113 No - 1st Floor, Apsara Arcade, Karol Bagh Metro Gate No. 78700476287

Prayagraj: In Front of A N JHA Hostel, Science Faculty 9716521918

Lucknow: 3rd Floor, B 1/66, Sector J, Aliganj, Lucknow 9899282107

TECNO CAMON

MAKE IAS
Make Advanced Knowledge Easy

1. यद्यपि दबाव समूह देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु इनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बाधाएं भी भयावह होती हैं। चर्चा कीजिए। (125 शब्द)

Although pressure groups play an important role in the socio-economic development of the country, but the obstacles created by them are also frightening. Discuss. (125 words)

दबाव समूह:- ऐसे संगठित समूह जो राजनीति में भाग लिए बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति, सरकार या प्रशासन को अपने पक्ष में प्रभावित करते हैं।

जैसे- MKSS संगठन द्वारा RTI की मांग

→ सामाजिक-आर्थिक विकास में भागीदारी:-

1. व्यापारिक विकास में:- ASSOCHAM, FICCI द्वारा

2. सामाजिक विकास में - अक्षयपात्र फाउंडेशन - भुखमरी में कमी करना

निर्भया फाउंडेशन - महिला सुरक्षा

ABVP, NSUI - छात्र संगठन

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

TECNO CAMON

3. किसानों के उत्थान के लिए - भारतीय किसान यूनियन

4. मजदूर संगठन - मजदूर हित में

इसके अतिरिक्त ये संगठन अपनी माँगों को मनवाने के लिए बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। जैसे -

1. हिंसा का सहारा - किसान आंदोलन में

2. बाह्य शक्तियों द्वारा प्रेरित - अर्थव्यवस्था में ~~2-3~~ GDP का 2-3% का नुकसान।

3. क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। जैसे - खालिस्तान आंदोलन, बोडो लैंड की माँग

4. साम्प्रदायिकता में बढ़ावा।

5. सरकारी विकास कार्यों में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।

उपर्युक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि दबाव समूह लोकतंत्र के परिचायक हैं। आर्थिक-सामाजिक के साथ-साथ पर्यावरणीय विकास में सहायक हैं। लेकिन इन्हें संयमित रखने की आवश्यकता है।

TECNO CAMON

2. भारत में निष्पक्ष और नियमित चुनाव आयोजित कराने में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह 1950 के अधिनियम से किस प्रकार भिन्न है? (125 शब्द)

Describe the role of the Representation of the People Act, 1951 in conducting fair and regular elections in India. How is it different from the 1950's act? (125 words)

अनु० 327 व 328 संसद को केंद्र व विधानमण्डल के चुनाव के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। इसी के आधार पर संसद ने RPA, 1950 और 1951 का निर्माण किया।

निष्पक्ष और नियमित चुनाव कराने में भूमिका:-

- (1) धारा 29 - क्षेत्रीय दलों के पंजीकरण द्वारा चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति।
- (2) उम्मीदवारों की योग्यता व अयोग्यताओं का निर्धारण,
- (3) धारा - 8(3) :- अपराध के कारण 2 या अधिक वर्ष की सजा होने पर अयोग्यता।
- (4) चुनाव में भ्रष्ट आचरण, अपराध या किसी अन्य विवाद का निर्णय।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

- (5) चुनावी खर्च की सीमा निर्धारण।
  - संसद - सामान्य - 70 लाख
  - पहाड़ी - 54 लाख
- (6) चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी की संरचना के बारे में विवरण।

→ RPA 1950 और 1951 में भिन्नता :-

RPA, 1950	RPA, 1951
1. निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित	1. उम्मीदवारों की योग्यता व अयोग्यता का निर्धारण।
2. L.S और R.S में सीटों का आवंटन।	2. राजनीतिक दलों का पंजीकरण - धारा - 29
3. मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया	3. चुनाव के दौरान किसी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदारी तय करना।

भारत लोकतांत्रिक देशों में निष्पक्ष सत्ता हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। RPA 1950 व 1951 सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

3. हाल ही में दल-बदल कानून विवाद का विषय रहा है। इस संदर्भ में इसकी आवश्यकता को चिह्नित कीजिए, साथ ही इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। (125 शब्द)

Recently, the anti-defection law has been the issue of controversy. In this context, mark its need, as well as present arguments in its favor and opposition. (125 words)

52वें संविधान संशोधन 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। जिससे व्यक्तिगत लाभों के लिए दल परिवर्तन कर सरकार को अस्थायित्व प्रदान करने वाले प्रतिनिधियों पर रोक लगाई जा सके।

हाल ही में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में दल परिवर्तन देखने को मिला।

दल-बदल कानून की आवश्यकता :-

1. सरकार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए।

2. व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा जनता के प्रतिनिधित्व को वरीयता देने के लिए।

3. राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए

4. प्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

→ दल-बदल कानून –

पक्ष में	विपक्ष में
1. स्थायी सरकार → विकास कार्यों में निरंतरता	1. प्रतिनिधि के व्यक्तिगत निर्णय के स्थान पर पार्टी के निर्णय को महत्व।
2. नीतियों में एकरूपता	2. अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका।
3. राजनीतिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण	3. अंतर-दलीय लोकतंत्र को प्रभावित करता है।
4. जनता के मत का सम्मान	

दल-बदल कानून में निर्णायक भूमिका सदन के अध्यक्ष की होती है। जो विवादास्पद है। SC ने कहा है कि "चुनाव स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन" होना चाहिए।

निष्कर्षतः दल-बदल कानून में सुधार की आवश्यकता है। इस बात को उपराष्ट्रपति ने भी स्वीकार किया है।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

4. राजनीति के अपराधीकरण से क्या तात्पर्य है? विशेष रूप से इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए, बताइए कि इससे निपटने हेतु भारत में कौन से कदम उठाए गए हैं? (200 शब्द)

What does criminalization of politics mean? Specifically mentioning the decision of the Supreme Court in this context, write what steps have been taken in India to deal with it? (200 words)

राजनीति के अपराधीकरण से तात्पर्य अपराधी व्यक्ति की भागीदारी जिसमें अपराधी चुनाव लड़ सकता है और जीत कर संसद या विधानमण्डल तक पहुँच सकता है।

ADR के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 में 43% प्रतिनिधियों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। साथ ही इन आँकड़ों में वृद्धि हो रही है। (Graph)

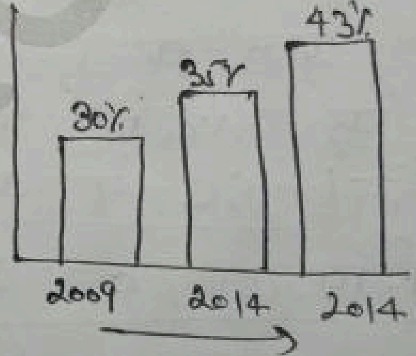

अपराधीकरण के कारण :-

- धन बल तथा बाहुबल के कारण टिकट मिलना।
- जीतने की अधिक संभावना
- मतदाता की उदासीनता → नोट के बदले वोट,

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow
TECNO CAMON

- राजनेता और अपराधियों के मध्य गठजोड़
  - सजायाफ्ता उम्मीदवारों के खिलाफ दंतहीन कानून।

→ निपटने हेतु उठाये गए कदम :-

1. लिली थॉमस केस व लोक प्रहरी केस (2013) – RPA, 1951 की धारा 8(4) में 2 वर्ष से अधिक सजा प्राप्त सदस्य की सदस्यता खत्म करने का प्रावधान। Ex- हाल ही में राहुल गाँधी पर कार्यवाही।

2. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी केस – मतदान प्रक्रिया के बहिष्कार को रोकने के लिए NOTA का विकल्प।

3. सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में सभी उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक योग्यता तथा संपत्ति संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow
TECNO CAMON

7. पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन v/s UOI (2018)
सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का ऑनलाइन प्रकाशन अनिवार्य किया।

इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पश्चात VVPAT, MP व MLA के खिलाफ केसों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश दिए गये।

निष्कर्षतः स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व सुशासन के लिए राजनीति के अपराधीकरण को कम करने की आवश्यकता है।

MAKE IAS
Make Advanced Knowledge Easy

5. न्यायिक अतिक्रमण की व्याख्या कीजिए और न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण में अंतर स्पष्ट कीजिए। (200 शब्द)

Explain the judicial overreach and clarify the difference between judicial review, judicial activism and judicial overreach. (200 words)

न्यायिक अतिक्रमण से तात्पर्य शक्ति के पृथक्करण के सिद्धान्त के उल्लंघन से है जब न्यायपालिका कार्यक्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन कर कार्यपालिका या विधायिका का कार्य करने लगे तो उसे न्यायिक अतिक्रमण कहते हैं।

जैसे: दिल्ली में "कोर्ट द्वारा" पटाखे चलाने का समय निर्धारित करना।

न्यायिक समीक्षा :- विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जाँच की न्यायपालिका की शक्ति है जो राज्य व केंद्र सरकारों पर लागू होती है। उदाहरण→ NJAC Act को अवैध

* सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी V/S राजनारायण केस में न्यायिक समीक्षा को 'मूलभूत ढाँचा' माना है।

@MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow
TECNO CAMON

न्यायिक सक्रियता :- न्यायालय द्वारा किसी जनहित के मुद्दे पर स्वयं से पहल करना न्यायिक सक्रियता कहलाता है।
जैसे- PIL की शुरुआत

* न्यायिक सक्रियता की चरम सीमा ही न्यायिक अतिक्रमण का रूप होती है

→ न्यायिक समीक्षा व न्यायिक अतिक्रमण :-

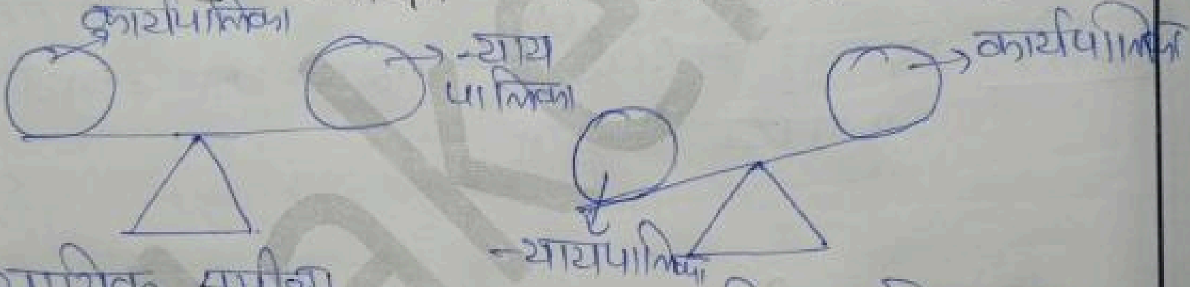

न्यायिक समीक्षा

न्यायिक अतिक्रमण

→ भारत में सरकार के तीनों अंग विधायिका कार्यपालिका व न्यायपालिका में सामंजस्य स्थापित करने के लिए शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया है।

जिससे तीनों अंग बिना किसी मतभेद के अपने कार्यों व उत्तरदायित्वों का पालन कर सकें।

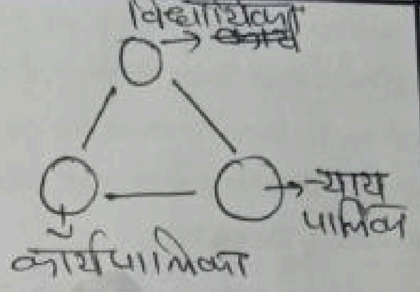

निष्कर्षत: तीनों अंगों को संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार कर, निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र में रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। जिससे जनता का संसद, संविधान व न्यायपालिका में विश्वास बना रहे।

6. स्थानीय सरकार के एक अंग के रूप में भारत में पंचायत प्रणाली के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। सरकारी अनुदान के अतिरिक्त, पंचायतें विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कौन अन्य स्रोतों का प्रयोग कर सकती हैं? (200 शब्द)

Assess the importance of the Panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the Panchayats can look out for financing developmental projects? (200 words)

73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम संविधान में 9 तथा 9A भाग जोड़ा गया। जो भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना पर जोर देती है।

* यह गांधीवादी अवधारणा के अनुकूल है जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरू की गई तथा। L.M. सिंघवी समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

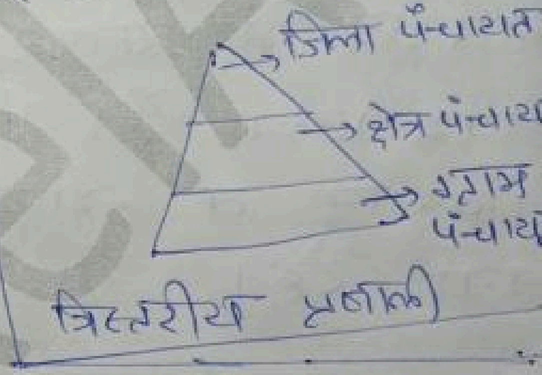

→ सरकार के अंग के रूप में महत्व:-

1. स्वशासन को महत्व:- स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं के लिए नीति बनाने के लिए अवसर।

TECNO CAMON

2. महिला उत्थान | सशक्तिकरण :- 33% आरक्षण, महिलाओं की राजनीति में भागेदारी में बढ़ोत्तरी।

3. समावेशी विकास :- सभी वर्गों को अपने विकास के लिए अवसर प्राप्त होंगे।

4. आमजन में राजनीतिक चेतना का विकास।

→ सरकारी चुनौतियाँ :-

1. जी० वी० के० राव समिति ने 'बिना जड़ की घास कहा है' → अपर्याप्त वित्त पोषण।

2. प्रधानपति जैसी प्रथाएँ :- महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं।

3. राजनीतिक हस्तक्षेप

4. लालफीताशाही - अधिकारियों द्वारा व जन प्रतिनिधियों द्वारा

5. भ्रष्टाचार।

6. अपर्याप्त शक्तियाँ - सीमित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

सरकारी स्रोतों के अधिक आय के साधन :-

1. गृह कर, सुविधाओं के लिए कर वसूली
2. चुंगी कर, टोल आदि।
3. क्षेत्र में लगने वाले मेले, बाजार आदि से कर।

सरकारी वित्त पोषण के अतिरिक्त पँचायतों के स्वयं के आय के साधन अत्यंत सीमित हैं।

निष्कर्षतः पँचायत प्रणाली समावेशी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

TECNO CAMON

7. हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित आकड़ों के अनुसार भारत का कृषि उत्पाद निर्यात 50 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। इसमें सरकार की किन नीतियों का योगदान रहा है? साथ ही चर्चा कीजिये कृषि निर्यात को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? (200 शब्द)

According to the data published recently by the Ministry of Commerce and Industry, India's agricultural product exports have crossed $50 billion. Which policies of the government have contributed to this? Also discuss what are the challenges agriculture exports are facing? (200 words)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में 53 बि० डॉलर के साथ भारत का कृषि उत्पाद निर्यात अब तक के शीर्ष पर रहा। जिसमें भारत लगभग 17 बि० डॉलर के व्यापार अधिशेष की अवस्था में है।

→ सरकार की नीतियों का योगदान:-

(i) किसान कनेक्ट पोर्टल
↳ FPO, FPC और सहकारी समितियों के मध्य संपर्क का मंच।

(ii) कृषि निर्यात नीति, 2018
↳ उद्देश्य - निर्यात वस्तुओं एवं गंतव्यों में विविधता लाना।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

- (iii) निर्यात प्रोत्साहन योजना - APEDA द्वारा
  - निर्यात बुनियादी ढाँचा, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के लिए।
- (iv) निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना विकास (TIES) योजना
- (v) बाजार पहुँच पहल (MAI) योजना
- (vi) GI tags - 400+ वस्तुओं को GI tag प्राप्त हो चुका है।

कृषि निर्यात में चुनौतियाँ :-

- (i) सीमित गंतव्य स्थल।
  Ex - अधिकांश निर्यात USA, UAE तथा अन्य खाड़ी देशों में।
- (ii) आंतरिक नीतियाँ :- कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध। जैसे-

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

टूटे-चावल पर, गेहूँ के निर्यात पर, चीनी पर।

- (iii) मूल्य संवर्धन की कमी :- ब्रांडिंग व प्रचार की कमी।
- (iv) खंडित जोत :- औसत खेत आकार 1.15 हे०, 83% खेत 1 हे० से कम।
- (v) कम उपज :- औसत उत्पादन वैश्विक स्तर से कम

→ **आगे की राह** :-

- (i) GM फसलों को अनुमति - उत्पादन बढ़ेगा।
- (ii) भूमि सुधार की आवश्यकता।
- (iii) कृषि अवसंरचना जैसे - गोदाम, कोल्ड स्टोरेज का विकास हो।

कृषि उत्पादन व निर्यात में वृद्धि करके सरकार के लक्ष्य 'किसान की आय दोगुनी करना' तथा SDG-1 (गरीबी मुक्त) व SDG-2 (शून्य भुखमरी) को प्राप्त किया जा सकता है